विनोद सिंह गुंजियाल, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, सहरसा।

समाहरणालय, सहरसा
(जिला स्थापना शाखा)
।।–आदेश–।।

बिहार सरकार

श्री कार्तिक कुमार झा, तत्कालीन उच्च वर्गीय लिपिक –सह– अंचल नाजिर, अंचल कार्यालय, सलखुआ वर्त्तमान मुख्यालय– अनुमंडल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित रहने अंचल नजारत का कैश–बुक अद्यतन नहीं करने, कार्यालय आदेश के बाबजूद अंचल नजारत का प्रभार नहीं सौपने संबंधी अंचल अधिकारी, सलखुआ के पत्र संख्या 313-2 दिनांक 15-05-2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1803/स्था० दिनांक 10-10-2013 द्वारा श्री झा को निलंबित करते हुए आरोप पत्र– ''प्रपत्र–क'' में गठन का निर्देश निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सलखुआ से साक्ष्य सहित आरोप पत्र ''प्रपत्र–क'' में गठित कर प्राप्त हुआ जिसे अनुमोदित किया गया।

आरोप का विवरण निम्नवत है :–

1. दिनांक 15-11-2011 से 25-11-2011 तक लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण नजारत का सम्पूर्ण कार्य बाधित रहा।
2. अंचल अधिकारी के आदेश ज्ञापांक 722-2 दिनांक 28-12-2012 का प्रभार नहीं देकर आदेश की अवहेलना।
3. आदेश अवहेलना एवं कैश बुक अद्यतन नहीं करने के कारण ज्ञापांक 281-2 दिनांक 06-05-2013 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज प्राथमिकी संख्या 92/2013 सलखुआ थाना में दर्ज की गयी।
4. वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का कैश बुक अद्यतन नहीं करते हुए भाउचर लेकर गायब होना जिसके कारण उक्त वर्षो का डी०सी० विपत्र का जमा नहीं होना।
5. जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 1803/स्था० दिनांक 10-10-2013 द्वारा निलंबित मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर परन्तु अबतक सम्पूर्ण प्रभार नहीं देना, जिससे डी०सी० विपत्र वाधित।

उपांकित गठित आरोप के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1101 सपत्र/स्था० दिनांक 15-10-2014 द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी, सलखुआ को नामित किया गया।

आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण :–

आरोपी कर्मी ने स्पष्ट किया है कि आरोप प्रपत्र–क का साक्ष्य सहित जबाव प्रस्तुत करने हेतु बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण एवं अपील नियमावली बिहार (5) के नियम भाग VI उप नियम IV के तहत आरोप से संबंधित कागजात अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित सरकारी सेवक को उपलब्ध करायेगा या करवायेगा।

उक्त नियम के तहत मुझे प्रपत्र–''क'' से संबंधित आरोपों का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जो निम्नवत है :–

(1) माह नवम्बर 2011 की उपस्थिति पंजी अंचल कार्यालय, सलखुआ की छाया प्रति।

(2) वर्ष 2011 के मई/जून तत्कालीन वरीय कार्यालय अधीक्षक द्वारा अंचल/प्रखंड कार्यालय का किये गए निरीक्षण की टिप्पणी की छाया प्रति।

(3) वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 का आरोपी द्वारा गायब भोउचर संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए।

(4) डी०सी० विपत्र वर्ष 2011-12 की छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए।

(5) वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 तक राजस्व वसूली की राशि जो चालान द्वारा कोषागार में जमा की गई है। उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए।

(6) मेरे अवकाश के अवधि में अंचल नजारत का तैयार इन्भेट्री लिस्ट किनके द्वारा एवं किनके पर्यवेक्षण में तैयार किया गया किन लोगों का नाम पदनाम एवं इन्भेन्ट्री सूची की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का अनुशंसाः–

बिना अनुमति के कार्यालय से गायब रहना, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना, रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं करना, अभिश्रव गायब करना, अनुशासनहीनता एवं सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाह होना जैसे–गंभीर आरोप "प्रपत्र–क" में गठित किए गए है। जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विपरीत है।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदनः–

1. दिनांक 15-11-2011 से 25-11-2011 तक लगातार अनधिकृत रूप में अनुपस्थिति रहने के आरोप के संबंध में आरोपी कर्मी द्वारा उनकी उपस्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रमाणित करने में असफल रहे। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा दिनांक 15-11-2011 से 25-11-2011 तक लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के संबंध में उपस्थिति पंजी कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने की बात बताई गई है। उनके द्वारा वर्ष 2013 के अप्रैल माह से अक्टूबर 2013 तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी उपस्थिति पंजी की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आरोप के प्रमाणित होने की बात का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में आरोपी द्वारा उपस्थिति संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसे आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित किये जाने वाले थोथी दलील बतायी गयी। इस प्रकार बचाव बयान संतोषजनक नहीं है। अतः आरोपी कर्मी के बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मन्तव्य के आधार पर आरोप प्रमाणित होता है।

2. अंचल कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 722-2 दिनांक 28-12-2012 द्वारा आरोपी कर्मी को नजारत का प्रभार सौंपने का आदेश दिया गया। आरोपी कर्मी द्वारा स्वयं अपने बचाव बयान में इसे दिनांक 10-05-2013 को छः पन्ने का मात्र आंशिक प्रभार से संबंधित कागजात उपस्थापित किया गया, जिसमें रोकड़ पंजी एवं अभिश्रव शामिल नहीं है। उनके आंशिक प्रभार सौंपने के कारण ही Inventry के आधार पर प्रभार भारग्राही लिपिक को सौंपी गई है।

अतः आरोपी कर्मी के बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मन्तव्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी अंचल नजारत से संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण कागजातों यथा– बैंक पंजियां, रोकड़ पंजियों, अभिश्रव, नाजिर रसीद, केश रेकर्ड, डबल लॉक, महत्वपूर्ण संचिकाओं आदि का प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण इनभेन्ट्री के आधार पर प्रभार दिलाया जा सका। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

3. सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौंपने के कारण अंचल अधिकारी, सलखुआ के ज्ञापांक 281-2 दिनांक 06-05-2013 द्वारा आरोपी कर्मी के विरूद्ध सलखुआ थाना कांड संख्या 92/2013 दर्ज की गई, जो स्वतः प्रमाणित है। नजारत का प्रभार सौंपने में विलम्ब की गई। विलम्ब करने के संबंध में आरोपी कर्मी द्वारा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. आरोपी कर्मी द्वारा अपने बचाव बयान में सभी अभिश्रव का प्रभार सौंपने का उल्लेख किया गया। परन्तु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अभिश्रव एवं रोकड़पंजी का आंशिक प्रभार सौंपने की बात बतायी गई। साथ ही, यह भी बताया गया है कि सभी रोकड़ पंजियों का प्रभार नहीं सौंपने के कारण ही

नया रोकड़ पंजी खोला गया। चूँकि भारग्राही लिपिक द्वारा इन्वेंट्री सूची के आधार पर प्रभार ग्रहण किया गया, जो इस बात का प्रमाणित करता है कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का रोकड़ पंजी एवं अभिश्रव उनके द्वारा गायब किया गया है, जो उनके प्रभार में नहीं है।

साथ ही, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के जनसंख्या निष्क्रमण मद में A/C Bill No 110416226 से निकासी की कुल राशि 3.00 लाख रूपये में 21,000.00 खाद्यान्न आपूर्ति मद में A/C Bill No- 110416273 से निकासी की कुल राशि 3,25,000.00 रूपये में 3,25,000.00 रूपये एवं निस्सहाय एवं विकलांग मद में A/C Bill No 110416281 से कुल 1,09,500.00 रूपये में 1,09,500.00 रूपये यानि कुल 4,55,500 रूपये का डी०सी० विपत्र आपदा प्रबंधन विभाग में लंबित है। इनके द्वारा अभिश्रव गायब करने के कारण ही यह डी०सी० विपत्र जमा नहीं हो सका है। जो एक गंभीर आरोप है। अतएवं इन तथ्यों के आधार पर यह आरोप प्रमाणित होता है।

5. आरोप संख्या 04 एवं 05 में गठित आरोप संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपने से संबंधित है एवं इन दोनों आरोपों में लगभग समानता है। इस संबंध में आरोपी कर्मी द्वारा बचाव बयान में प्रभार सौंपने से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, से प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, सलखुआ–सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा मन्तव्य में आरोपी कर्मी के संपूर्ण प्रभार नहीं सौंपने के कारण डी०सी० विपत्र जमा नहीं होने एवं इस कारण प्राथमिकी दर्ज करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अतः यह आरोप भी प्रमाणित होता है।

आरोपी कर्मी का द्वितीय कारण–पृच्छा:–

मेरे मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रथम तिथि को ही आरोप से संबंधित मदों का कागजात उपलब्ध कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी–सह– संचालन पदाधिकारी को आवेदन पत्र समर्पित किया गया था।

आरोपी कर्मी ने स्पष्ट किया है कि उक्त कागजात उपलब्ध होने पर मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि मेरे उपर गठित आरोप पूर्णतः निराधार है। परन्तु मुझे एक भी याचित कागजात उपलब्ध नहीं कराया जा सका। फलतः साक्ष्य सहित जवाब प्रस्तुत करने में मैं अक्षम रहा। मुझे संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक सुनवाई की तिथि को कागजात उपलब्ध कराने के बदले बिना साक्ष्य का ही जवाब प्रस्तुत करने हेतु दबाव ही नहीं दिया जाता था बल्कि मौखिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था। फलतः मेरे द्वारा बिना साक्ष्य का सम्पूर्ण जबाव ही समर्पित किया गया, जिसे पूर्णतः नजर अंदाज कर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित किया गया है। जहाँ तक उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा कागजात प्रस्तुत करने का प्रश्न है इस बिन्दु पर मात्र एक छोटा सा उदाहरण समर्पित करना चाहता हूँ वर्ष 2011 का उपस्थिति पंजी कार्यालय में अनउपलब्ध रहने के जबाव प्रस्तुत करना क्या युक्ति संगत है?

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा याचित कागजात उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि साक्ष्य सहित जबाव श्रीमान को समर्पित कर सकूँ।

निष्कर्ष :–

आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का अनुशंसा, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का समीक्षा किया। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी कर्मी श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण पृच्छा संतोषजनक नहीं है। जिससे सरकारी राशि के गवन का मामला बनता है तथा सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना कृत्य है।

अतः मैं विनोद सिंह गुंजियाल, जिला पदाधिकारी –सह– समाहर्त्ता, सहरसा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (ix) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री कार्तिक कुमार झा, उच्च वर्गीय लिपिक (निलंबित) तत्कालीन कार्यालय अंचल

कार्यालय, सलखुआ सम्प्रति वर्त्तमान मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करता हूँ।

श्री कार्त्तिक कुमार झा, उच्च वर्गीय लिपिक से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :–

1. कर्मचारी का नाम	:–	श्री कार्त्तिक कुमार झा
2. पिता का नाम	:–	स्व० शिव नारायण झा
3. पदनाम	:–	उच्च वर्गीय लिपिक
4. कार्यालय का नाम	:–	अंचल कार्यालय, सलखुअ सम्प्रति वर्त्तमान अनुमंडल कार्या०, सिमरी बख्तियारपुर
5. वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	:–	5200 –20200 एवं ग्रेड वेतन 2400/–
6. मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित)	:–	मो० 13600/–
7. स्थायी पता	:–	ग्राम– मोहनपुर गोसाई टोला, थाना– बलवाहाट, प्रखंड– सिमरी बख्तियारपुर जिला– सहरसा।
8. वर्त्तमान पता	:–	B.S.N.L. टावर से दक्षिण, कोशी कॉलनी, सहरसा

इसकी सूचना सभी संबंधितों का दी जाए।

ह०/–
जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 31–127/2005-14 1160 /स्था० सहरसा, दिनांक 12/09/ 2016 ई०।

प्रतिलिपिः– श्री कार्त्तिक कुमार झा, उच्च वर्गीय लिपिक (निलंबित) तत्कालीन कार्यालय अंचल कार्यालय, सलखुआ सम्प्रति वर्त्तमान मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, सलखुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, (जिला गजट प्रशाखा) सहरसा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सहरसा/उप विकास आयुक्त, सहरसा/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाहर्त्ता के गोपनीय शाखा, सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा/आई०टी० मैनेजर, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राज्य गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
सहरसा।